... लिखा था।

25-5-18 | पत्रावली न्याय आपके द्वार-2018 में अटल सेवा केन्द्र कालसन पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाई गई परन्तु पक्षकार अनुपस्थित हैं मामले में ग्राम में जानकारी की गई एवं पत्रावली का लोक अदालत की भावना से अवलोकन किया गया तो वादीगण बख्शीसनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार हेतु वाद पेश किया है जबकि बख्शीसनामा के आधार पर लेण्ड रिकार्ड रूल्स 119 से 145 के आधार पर तहसीलदार के यहां आवेदन कर नामान्तरकरण को करवाना चाहिये था जो वादी द्वारा नहीं किया गया है। वादीगण

द्वारा अपना वाद सिर्फ बख्शीनामा के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी सूरत में वादी का वाद सिद्ध नहीं होने से एवं बख्शीसनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना सम्भव नहीं है। वादी बख्शीसनामा का अमल करवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अतः वादी का वाद खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner